



2026:AHC:31203

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2130/2026

नितीश सक्सेना

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अभिनव त्रिपाठी, देवाशीष मित्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवाशीष मित्रा और राज्य प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय शील कुमार सक्सेना, अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे; वे 31.08.2014 को सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद, 07.03.2022 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता 11,30,912/- रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करता है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वह एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं और फ़ाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, परंतु प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निस्तारण सर्वप्रथम चौथे प्रत्यर्थी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस प्रकार के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विपक्षी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, न्यायालय की यह राय है कि चौथे प्रत्यर्थी का यह कानूनी दायित्व है कि वह उन भुगतानों की प्रतिपूर्ति करे जो स्वीकार्य हैं और जिनके लिए रिट याचिकाकर्ता भी हकदार है।
7. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित रीति से किया जा रहा है:  
(क) रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, चौथे प्रत्यर्थी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा; इस प्रस्ताव पर, चौथा प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करेगा और उसे मार्च, 2026 के दूसरे सप्ताह से बाद की किसी तारीख को उपस्थित होने के लिए कहेगा, साथ ही रिट याचिकाकर्ता से मार्च, 2026 के तीसरे सप्ताह तक सभी औपचारिकताएँ पूरी करने की अपेक्षा करेगा, और आदेश 15.04.2026 तक पारित किए जाएँगे।
8. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"